C. S. (Main) Exam : 2011

Serial No. C–DTN–L–MBA

LAW

Paper—I

Time Allowed : Three Hours | *Maximum Marks : 300*

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No marks will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

Candidates should attempt Question Nos. 1 and 5 which are compulsory, and any ***three*** *of the remaining questions selecting at least* ***one*** *question from each Section.*

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है।

SECTION—A

1. Answer the following (each answer should be in about **150** words) :— 15×4=60

   (a) Constituent power to frame the constitution and the constituent power to amend the constitution have different connotation and scope. Explain.

   (b) "The Judiciary by usurping the powers of the other two organs of the Government in certain matters has diluted the theory of separation of powers." Do you agree ? Examine critically.

   (c) Do local bodies enjoy autonomy in performing their role in the field of economic development and social justice ? Explain.

   (d) The Governor of a State holds office during the 'pleasure' of the President of India. Can he be removed by the President any time without any reason ? Examine in the context of the position of the Governor under the Indian Constitution.

2. (a) 'Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined or confined within traditional and doctrinaire limits.' Explain, how the judiciary has widened the scope of the right to equality by various decisions. 30

खण्ड—क

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग **150** शब्दों का हो) : 15×4=60

   (क) संविधान-रचना की संघटक शक्ति तथा संविधान-संशोधन की संघटक शक्ति के अलग-अलग लक्ष्यार्थ और कार्यक्षेत्र हैं। व्याख्या कीजिए।

   (ख) "कुछ मामलों में शासन के अन्य दो अवयवों की शक्तियों को हड़प कर न्यायपालिका ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त को कमज़ोर किया है।" क्या आप सहमत हैं ? समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए।

   (ग) क्या स्थानीय निकायों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने में स्वायत्तता प्राप्त है ? व्याख्या कीजिए।

   (घ) राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' तक ही पद पर बना रह सकता है। क्या राष्ट्रपति उसे बिना कारण पदच्युत कर सकता है ? भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की स्थिति के सन्दर्भ में परीक्षण कीजिए।

2. (क) समानता एक गतिशील संकल्पना है और इसके अनेक पहलू और आयाम हैं। पारम्परिक सैद्धान्तिक सीमाओं में इसको न तो कुंठित किया जा सकता है, न परिसीमित और न ही इसमें किसी प्रकार की काँट-छाँट की जा सकती है। इसका संकुचन भी नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों द्वारा इसके क्षेत्र को किस प्रकार विस्तृत किया है ? व्याख्या कीजिए। 30

(b) Right to life has been extended to a clean human environment by the Courts in India. Discuss the development of law in this regard. 30

3. (a) The decision of the Supreme Court of India in *ADM, Jabalpur v. S. Shukla*, according to Dr. Upendra Baxi, "made the darkness of emergency completely dark". Do you think that the Constitution (44th Amendment) Act 1978 removed this darkness and provided for better protection of the Fundamental Rights ? Explain. 30

(b) Examine whether the Election Commission of India has succeeded in performing the two responsibilities entrusted to it under Art. 324 of the Constitution of India ? What steps would you suggest to ensure the preparation of correct electoral rolls ? 30

4. Write critical notes on the following :— 20×3=60

(a) Doctrine of Prospective Overruling.

(b) Duties of the Prime Minister regarding furnishing of information to the President.

(c) Secularism.

(Contd.)

(ख) भारतीय न्यायालयों ने 'जीवन' के अधिकार के अन्तर्गत स्वच्छ मानवीय पर्यावरण को भी सम्मिलित कर लिया है। विषय से संबंधित विधि के विकास की चर्चा कीजिए। 30

3. (क) डॉ. उपेन्द्र बक्शी के अनुसार 'ए डी एम जबलपुर *बनाम* शुक्ला' में सर्वोच्च न्यायालय ने "आपातकाल के अन्धकार को पूर्णतया काला कर दिया।" क्या आपके विचार में 1978 के अधिनियम द्वारा किए 44वें संशोधन से अन्धकार दूर हो पाया है और क्या इससे मौलिक अधिकारों का ज़्यादा अच्छा परिरक्षण हो पाया है ? व्याख्या कीजिए। 30

(ख) इस बात का परीक्षण कीजिए कि क्या भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अधिनियम 324 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दोनों ज़िम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाया है ? प्रामाणिक निर्वाचन-सूचियों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों के विषय में सुझाव दीजिए। 30

4. निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखिए :— $20 \times 3 = 60$

(क) भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धान्त

(ख) राष्ट्रपति को सूचना देने विषयक प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य

(ग) धर्म-निरपेक्षता।

SECTION—B

5. Answer the following (each answer should be in about **150** words) : 15×4=60

(a) One extreme view is that International Law is a system without sanctions. However, it is not quite true that there are no forcible means of compelling a state to comply with International Law.

Comment and state various sanctions for the observance of International Law.

(b) 'The Universal Declaration of Human Rights is comprehensive and has to some extent affected the content of national laws, being expressly invoked by tribunals, yet it is not a legal instrument and some of its provisions could hardly be said to represent legal rules. Some of its provisions either constitute general principles of law or represent element considerations of humanity. Perhaps its greatest significance is that it provides an authoritative guide, produced by the General Assembly, to the interpretation of the provisions in the Charter.'

Comment and discuss the importance of the Universal Declaration of Human Rights.

(c) The Stockholm Conference of 1972 on the human environment served to identify those areas in which rules of International environment law, acceptable to international community as a whole can be laid down, and as well as those areas in which the formation of environmental rules must encounter insurmountable obstacles.

Discuss the principles of international environment law proclaimed in the Stockholm Declaration.

खण्ड—ख

5. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग **150** शब्दों का हो) : 15×4=60

(क) एक अतिवादी दृष्टि यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक दांडिक अनुशास्तिविहीन प्रणाली है। फिर भी यह पूर्णतया सच नहीं है कि किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुपालन के लिए विभिन्न दांडिक प्रावधानों पर टिप्पणी लिखिए।

(ख) 'मानवाधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा सर्वव्यापी है तथा अधिकरणों द्वारा खुले तौर पर इसकी दुहाई दिए जाने पर राष्ट्रीय विधि की अन्तर्वस्तु पर किसी सीमा तक इसका प्रभाव पड़ा है। फिर भी यह कोई विधिक दस्तावेज़ नहीं है और इसके कुछ प्रावधानों को विधिक नियमों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके कुछ प्रावधान या तो विधि के सामान्य सिद्धांत हैं या ये मानवता की प्रारंभिक धारणा का प्रतिनिधायन करते हैं। कदाचित् इसकी सबसे बड़ी महत्ता यह है कि महासभा द्वारा निर्मित चार्टर के प्रावधानों के निर्वचन के निमित्त महासभा द्वारा रचित एक प्राधिकृत मार्गदर्शिका है।'

उपर्युक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए तथा मानवाधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा के महत्व की चर्चा कीजिए।

(ग) 1972 के स्टॉकहोम अधिवेशन की भूमिका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्बन्धी नियमों के निर्माण के निमित्त ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने की रही है कि जिनमें पर्यावरण विषयक नियमों के निर्माण कार्य में आने वाली दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़े।

स्टॉकहोम घोषणा-पत्र में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि के सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए।

(d) What is international terrorism ? Discuss various actions taken by the United Nations to eliminate the causes underlying international terrorism.

6. (a) "The distinction between *'dejure/defacto* recognition' and 'recognition as the *dejure* and *defacto* government' is insubstantial, more especially as the question is one of intention and the legal consequences thereof in the particular case. If there is a distinction it does not seem to matter legally." Comment and discuss the distinction between the two. 30

(b) "Vessels on the high seas are subject to no authority except that of the State whose flag they fly. In virtue of the freedom of the sea, that is to say, the absence of any territorial sovereignty upon the high seas, no State may exercise any kind of jurisdiction over foreign vessels upon them." Give a critical appraisal of this principle in the light of the case law and views of the International Law Commission. 30

7. (a) "The principle of States being obliged to "settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered" is generally bashed aside by the tendencies of the nation-states of being reticent to submit disputes to independent, impartial adjudication, particularly not accepting in advance the compulsory jurisdiction of an independent judicial body." Explain the statement with reference at least to one such conflict existing in the world and also prepare a module for promoting negotiations among nations, using new opportunities created by globalisation. 30

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की चर्चा कीजिए।

6. (क) "विधितः एवं वस्तुतः मान्यता के बीच के अन्तर तथा विधितः एवं वास्तविक सरकारों के बीच के अन्तर का सारतः कोई महत्व नहीं है, विशेषतः इसलिए कि किसी भी विशिष्ट विधि-केस में मूल प्रश्न तो इरादे (आशय) और उसके विधिक परिणामों का रहता है। यदि कहीं कोई अन्तर है भी, तब भी क़ानूनी तौर पर तत्त्वतः उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" दोनों स्थितियों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी कीजिए। 30

(ख) "महासागर में चलने वाले पोतों पर केवल उसी देश का अधिकार होता है जिन पर उस देश का झंडा लगा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि महासागर पर क्षेत्रीय संप्रभुता के अभाव में कोई भी देश किसी दूसरे देश के जहाज़ पर अधिकारिता नहीं बरत सकता।" निर्णयज विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के दृष्टिकोण के आलोक में इस सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 30

7. (क) "यह सिद्धान्त कि "देशों को अनिवार्यतः पारस्परिक विवादों को सुरक्षा एवं न्यायभावना को बिना आँच पहुँचाए शान्तिपूर्वक सुलझाना चाहिए, प्रायः इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि देश प्रवृत्त्या अपने विवादों को किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के समक्ष रखने से बचते हैं, विशेषतः वे किसी स्वतन्त्र न्यायिक निकाय के बाध्यकारी अधिकार क्षेत्र को पहले से स्वीकार करना नहीं चाहते।" उपर्युक्त वक्तव्य की व्याख्या आज के युग के कम से कम एक विवाद के सन्दर्भ में कीजिए। साथ ही, बातचीत द्वारा समझौते का ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत कीजिए जिसकी सहायता से वैश्वीकरण द्वारा प्रदत्त अवसरों का उपयोग करते हुए समझौते को प्रोत्साहन मिले। 30

(b) "Extradition as a rule is effected by bipartite treaty. There is, therefore, no duty to extradite in the absence of a treaty. Further, the extradition treaties normally relate only to serious crimes and impose the same obligation on both the parties concerned." Give your opinion on the correctness of this statement with reference to the existing position under the International Law. Also critically examine this practice in the light of ever increasing individual movements for trade and service to suggest necessary modifications in law. 30

8. (a) The four Geneva Conventions of 1949 for the protection of war victims cover the wounded and sick in land warfare; the wounded, sick and ship-wrecked in warfare at sea; prisoners of war; and civilians. Discuss these protections. 30

(b) 'The United Nations is capable of legal development in accordance with the needs and circumstances. The Uniting for Peace Resolution, 1950 is its example.' Discuss the validity of this resolution. 30

(ख) "प्रत्यर्पण नियमत: द्विपक्षीय संधि से प्रभावित होता है। अत: संधि के अभाव में प्रत्यर्पण करना किसी के कर्त्तव्य क्षेत्र में नहीं आता। इसके अतिरिक्त, सामान्यत: प्रत्यर्पण संधियों का सम्बन्ध केवल गंभीर अपराधों से होता है और उनसे दोनों पक्ष एकसमान बाध्य होते हैं।'' अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में उपर्युक्त अभिकथन की समीचीनता पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस तथ्य के प्रकाश में कि आज के युग में अधिकाधिक लोग सेवा अथवा व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा करते हैं, उपर्युक्त कार्यरीति का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए तथा सम्बद्ध विधि में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दीजिए। 30

8. (क) युद्ध पीड़ितों की सुरक्षार्थ 1949 की चार जेनेवा कन्वेंशनों के अन्तर्गत मैदानी युद्ध में घायलों और बीमारों तथा पोत विध्वंस के पीड़ितों, युद्धबंदियों तथा असैनिक नागरिकों आदि सभी पीड़ितों को समावेश किया गया है। इन सुरक्षाओं का विवेचन कीजिए। 30

(ख) 'संयुक्त राष्ट्र आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप विधि विकास करने में सक्षम है। 1950 का 'शान्ति के लिए एकता' संकल्प इसका उदाहरण है।' इस संकल्प की वैधता का विवेचन कीजिए। 30

Serial No. C–DTN–L–MBA

विधि

प्रश्न-पत्र—I

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 300

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

*प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं।

Note : *English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.*